न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 76/2016 G.C.M.S. No. 2016/00514 दर्ज दिनांक : 07.09.2016

अपीलार्थी:

1. लीलादेवी पत्नि वागाराम
2. शांतिदेवी पत्नि लक्ष्मणराम
3. पानीदेवी पत्नि सोनाराम, जातिगण बंजारा, निवासीगण जूनी एंदला, तहसील व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. सायरी पुत्री लाला, जाति भाट, निवासी जूनी एंदला, तहसील व जिला पाली।
2. ओटी पुत्री लाला, पत्नि राउ, जाति भाट, निवासी मस्तान बाबा, सुमेरपुर रोड़, पाली।
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 13/2008 बअनवान सायरी बनाम ओटी वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.06.2016 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 एवं धारा 96 सीपीसी

पैरोकार–

1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री महेन्द्रनारायण ओझा, श्री राजेन्द्र शर्मा, श्री मदनदास वैष्णव, श्री राजूराम परमार, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट।

निर्णय

दिनांक: 21.11.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 13/2008 बअनवान सायरी बनाम ओटी वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 द्वारा रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 के विरुद्ध खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद ग्राम जूनी एन्दला खसरा नम्बर 947/315 रकबा 10 बीघा एवं खसरा नम्बर 1043/896/257 रकबा 5 बीघा बाबत पेश किया था। वाद के साथ अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन भी पेश किया था, जिसे आदेश दिनांक 31.1.14 द्वारा स्वीकार कर दिया था, जिसके विरुद्ध अपीलाण्ट्स की ओर से एक अपील श्रीमान् के न्यायालय में 36/15 पेश की थीं, जिसमें दिनांक 10.6.15 को

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

अपीलाण्ट्स के पक्ष में स्थगन आदेश पारित किया था, जो वर्तमान में प्रभाव में है तथा पेशी दिनांक 17.10.16 को नियत है। उपरोक्त भूमि अपीलाण्ट्स ने 2 अलग–अलग पंजीबद्ध विक्रय–पत्र दिनांक 30.6.08 द्वारा रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 से खरीद की हैं, जिसके म्यूटेशन संख्या 1155 व 1156 स्वीकृत किए जाकर उपरोक्त भूमि अपीलाण्ट्स की खातेदारी की दर्ज की गई है अर्थात् खसरा नम्बर 947/315 अपीलाण्ट संख्या 1 से 3 और खसरा नम्बर 1043/896/257 की भूमि अपीलाण्ट संख्या 1 व 2 के नाम माफिक विक्रय–पत्र खातेदारी के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई है। उपरोक्त खातेदारी अनुसार ही अपीलाण्ट्स उपरोक्त भूमि पर काबिज है और उपयोग–उपभोग कर रही हैं। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट्स पक्षकार नहीं हैं, न ही अपीलाण्ट्स पक्षकार बनाये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित वाद और अस्थायी निषेधाज्ञा में पारित आदेश की जानकारी होने पर अपीलार्थी की ओर से अस्थायी निषेधाज्ञा में पारित आदेश के विरुद्ध श्रीमान् के न्यायालय में अपील पेश की थीं, साथ ही मूल वाद में पक्षकार बनाये जाने हेतु आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. के तहत एक आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जो लम्बित था, फिर भी उपरोक्त प्रार्थना–पत्र को निर्णित किये, बिना अपीलाण्ट्स को सूचित किये, बिना अपीलाण्ट्स को नोटिस दिये पत्रावली को राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट गुडाएन्दला में पेश होना बताकर अपीलाण्ट्स की अनुपस्थिति में ही वादी और प्रतिवादी संख्या एक ने आपस में मिलावट कर अपीलाण्ट्स को अपने खातेदारी हक–हकूक, अधिकारों से वंचित करने की नियत से जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित करवा दी, जबकि पत्रावली पर अपीलाण्ट्स की ओर से पक्षकार बनाने हेतु आवेदन लम्बित था। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन पर न तो गौर किया, न ही अपीलाण्ट्स को नोटिस जारी कर साक्ष्य, सबूत, सुनवाई का अवसर प्रदान किया एवं अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किए जाने के समय प्रतिवादी संख्या एक राजस्व रेकर्ड में खातेदार के रूप में दर्ज नहीं थीं, फिर भी प्रतिवादी संख्या एक ने वादी से मिलावट करते हुए गलत तथ्यों के आधार पर वाद को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित करवाये है, जो अवैध व शून्यवृत्त है, क्योंकि डिक्री पारित किए जाने के समय प्रतिवादी संख्या एक खातेदार दर्ज नहीं थीं और प्रतिवादी संख्या एक ने तो अपने खातेदारी हक हकूक, अधिकार करीब 8 वर्ष पूर्व ही अपीलाण्ट्स को पंजीबद्ध विक्रय–पत्र से विक्रय कर दिये थें, तत्समय से ही अपीलाण्ट्स राजस्व रेकर्ड में खातेदार दर्ज है। मौके पर बतौर खातेदार काबिज है इस कारण से भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आंख मूंदकर पत्रावली का अवलोकन किए बिना ही कैम्प कोर्ट में केवल मात्र प्रकरण निर्णित करने के उद्देश्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

से ही जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की हैं, जो अवैध व शून्यवृत्त होने से अपास्त योग्य है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही आनन–फानन में केवल मात्र कैम्प कोर्ट में निर्णित प्रकरणों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाना स्पष्टतः प्रकट इसलिए भी है कि वादी व प्रतिवादी दोनों ही पक्ष से कोई भी अधिवक्ता कैम्प कोर्ट गुड़ाएन्दला में उपस्थित नहीं थी, न ही आदेशिका में उपस्थिति अंकित है, फिर भी निर्णय के साथ डिक्री में दोनों अधिवक्ताओं की उपस्थिति दर्ज की गई हैं। इसके अतिरिक्त प्रकरण में अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री बाबत जानकारी दिनांक 20.6.16 को तब हुई जब गांव में कुछ लोगों ने कहा कि 2 दिन पहले कैम्प में रेस्पोंडेण्ट सायरी व ओटी ने आपस में मिलावट करके फैसला करवा दिया है, जिस पर अपीलाण्ट्स ने ओटी से सही तथ्यों की जानकारी पूछी तब उसने सही तथ्य नहीं बताकर गोलमोल बात की, जिस पर संदेह होने पर दिनांक 20.6.16 को नकलों हेतु आवेदन पेश किया, जहां से नकल दिनांक 1.9.16 को मिलने पर उपरोक्त अपील पेश की जा रही हैं। इससे पूर्व अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की कोई जानकारी नहीं थीं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद एवं अपील प्रस्तुत करने की अनुमति के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादिया रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा रेस्पोंडेंट संख्या 2 के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.06.2016 को पारित निर्णय व डिक्री द्वारा वादपत्र स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति व म्याद प्रार्थना पत्र के साथ हस्तगत अपील दिनांक 07.09.2016 को प्रस्तुत की गई। हमारे विनम्र मत में चूंकि अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त आराजीयात दिनांक 30.06.2008 को निष्पादित पंजीकृत विक्रय–विलेख से रेस्पोंडेंट संख्या 2 से क्रय करने तथा नामांतरण संख्या 1155 व 1156 द्वारा बतौर खातेदार दर्ज होने से अपीलांट्स अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से पीड़ित, प्रभावित व आवश्यक पक्षकार है। जिन्हें सुना जाना आवश्यक है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रस्तुत

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

करने की अनुमति बाबत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलांट्स को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।

2. चूंकि अपीलांट्स अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णित प्रकरण में बतौर पक्षकार संयोजित नहीं हैं तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट्स की गैर मौजूदगी में दिनांक 18.06.2016 को लोक अदालत कैम्प में पारित किया गया। जिसकी निर्णय दिनांक से अपीलांट को जानकारी होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। चूंकि प्रकरण में दीर्घ विलंब निहित नहीं हैं एवं अपीलांट्स की लापरवाही या उदासीनता से विलंब कारित होना साबित नहीं हैं। अतः विलंबकाल सद्भाविक व युक्तियुक्त होने से माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादिया रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा प्रतिवादिया रेस्पोंडेंट संख्या 2 के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसमें प्रतिवादिया की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा पत्रावली कायमी तसकीयात में नियत की हैं। दिनांक 30.06.2008 को प्रतिवादिया द्वारा अपीलांट्स के पक्ष में निष्पादित दो पंजीकृत विक्रय–विलेख द्वारा आराजीयात का अंतरण कर दिया गया तथा क्रेता का नाम भू–अभिलेख में जरिये नामांतरण दर्ज भी हो गया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में विवाद्यक विरचित नहीं किए गए तथा प्रतिवादिया द्वारा अंतरण के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय को संज्ञान में लाए बिना दिनांक 18.06.2016 को राजस्व लोक अदालत कैम्प गुड़ा एंदला में वादिया व प्रतिवादिया द्वारा उपस्थित होकर आदेशिका में अपने अंगुष्ठ निशान किए एवं प्रतिवादिया द्वारा वादपत्र स्वीकार किया गया। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में वादिया व प्रतिवादिया को एक समान 1/2–1/2 हिस्से का खातेदार अभिधारी घोषित किया गया। हालांकि उभयपक्षकारान द्वारा कोई लिखित सहमति/राजीनामा आदि निष्पादित नहीं किया गया एवं प्रतिवादिया द्वारा जवाबदावे में वादपत्र को अस्वीकार किया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादिया द्वारा वादग्रस्त आराजीयात का पंजीकृत विक्रय–विलेख से अंतरण उपरांत अधीनस्थ न्यायालय में लोक अदालत में कथित सहमति प्रकट करते हुए आदेशिका पर अंगुष्ठ निशान किए हैं। लेकिन चूंकि प्रतिवादिया इससे पूर्व ही आराजीयात का अंतरण कर चुकी थीं। ऐसी स्थिति में वह दिनांक 18.06.2016 को किसी प्रकार की सहमति/राजीनामा आदि निष्पादित करने के लिए कानूनन सक्षम नहीं थीं तथा प्रकरण में वादिया/प्रतिवादिया द्वारा क्रेतागण जो भू–अभिलेख में खातेदार भी दर्ज हो चुके थें

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उक्त विक्रय–विलेख की प्रतियां उपलब्ध थीं। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर संज्ञान लिए बिना एवं क्रेतागण खातेदारान को पक्षकार संयोजित किए बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। जो विधिक प्रक्रिया के समुचित अनुपालन नहीं करने एवं विधि अनुरूप नहीं होने से काबिल अपास्त है।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पुष्टि नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त कर प्रकरण में अपीलांट्स को बतौर प्रतिवादीगण पक्षकार संयोजित करते हुए जवाबदावा प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर देते हुए, विवाद्यक विरचित कर उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए आदेश 20 नियम 5 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक विधिक प्रावधानों का अनुपालन करते हुए प्रकरण को विधिनुरूप निर्णित करने के निर्देश के साथ प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 13/2008 बअनवान सायरी बनाम ओटी वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.06.2016 को अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलांट्स को बतौर प्रतिवादीगण पक्षकार संयोजित कर, जवाबदावा प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर देते हुए, विवाद्यक विरचित कर उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए आदेश 20 नियम 5 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक विधिक प्रावधानों का अनुपालन करते हुए प्रकरण को विधिनुरूप निर्णित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **21.11.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner